



# D-JAY(S) / शहरी आजीविका (D-JAY(S) / Urban Livelihoods)

## यह संस्थान क्या है

D-JAY(S), दीनदयाल जन आजीविका योजना (शहरी), MoHUA (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय) का प्रस्तावित उत्तराधिकारी है DAY-NULM (दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) का, जिसकी कार्यान्वयन अवधि 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई। 2026 की शुरुआत में, यह 25 शहरों में Test-Learn-Scale दृष्टिकोण के साथ पायलट के रूप में चलाया जा रहा है (₹180 करोड़ का परिव्यय), और वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार पायलट सभी ULB तक "तैयारी और राष्ट्रव्यापी रोल-आउट" के लिए विस्तारित किया गया है; पूर्ण राष्ट्रीय रोल-आउट कैबिनेट अनुमोदन की प्रतीक्षा में है। बीच के समय में, ऋण, विक्रेता पहचान और आश्रय तक शहरी गरीबों की पहुँच मुख्यतः PM SVANidhi (पथ विक्रेता कार्यशील पूँजी, अगस्त 2025 में पुनर्संचित), DAY-NULM की शहर-स्तरीय शेष संरचनाओं (SHG, ALF/CLF, शहरी बेघरों के लिए आश्रय), और ULB-स्तरीय नगरपालिका कार्यक्रमों के माध्यम से जारी है। जहाँ आप पायलट शहर में हैं, D-JAY(S) से जुड़ें; जहाँ आप पायलट शहर में नहीं हैं, पथ विक्रेताओं के लिए सक्रिय कार्यक्रम PM SVANidhi (पीएम-स्वनिधि) है।

D-JAY(S) स्पष्ट रूप से छह कमजोर व्यावसायिक समूहों (Vulnerable Occupational Groups (VoGs)) को लक्षित करता है: निर्माण कामगार, परिवहन कामगार, गिग कामगार, घरेलू कामगार, अपशिष्ट कामगार, और देखभाल कामगार (व्यापक शहरी गरीब के साथ-साथ)। मिशन पाँच घटकों के इर्द-गिर्द संरचित है: समुदाय-नेतृत्व संस्थान विकास (CLID, SHG + CIG), वित्तीय समावेशन एवं उद्यम विकास (FI&ED), सामाजिक बुनियादी ढाँचा, अभिसरण, और नवाचारी एवं विशेष परियोजनाएँ (I&SP)। यह IT-सक्षम सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइलिंग (आधार-आधारित e-KYC), ULB स्तर पर शहर आजीविका कार्य योजना (City Livelihood Action Plan (C-LAP)) की तैयारी, और "संपूर्ण-सरकार" अभिसरण दृष्टिकोण पर जोर देता है।

### यह आपके लिए क्यों मायने रखता है

यदि आप पथ विक्रेता हैं, छह VoG में से किसी एक के अनौपचारिक कामगार हैं, या किसी क़स्बे में स्व-रोजगार सहायता ढूँढ रहे युवा हैं, तो D-JAY(S) (पायलट शहरों में) कौशल प्रशिक्षण, ₹4 लाख तक के व्यक्तिगत उद्यम ऋण और ₹20 लाख तक के समूह ऋण रियायती दरों पर, स्व-सहायता समूह (SHG)/CIG सहायता, और SUYOG एकल-खिड़की केंद्रों के माध्यम से पहुँच देता है। गैर-पायलट शहरों में, PM SVANidhi पथ विक्रेताओं के लिए सक्रिय कार्यशील-पूँजी योजना बनी हुई है।

**शासन**

कानून / नीति	दायरा
D-JAY(S) मिशन दस्तावेज़, MoHUA (2024)	25 शहरों में पायलट का मूल संचालन ढाँचा
पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम (एसवीए), 2014	विक्रेता आजीविका की रक्षा; सर्वेक्षण, पहचान-पत्र और विक्रय क्षेत्र अनिवार्य
PM SVANidhi दिशा-निर्देश, 2020 (अगस्त 2025 में पुनर्संरचित)	ब्याज सब्सिडी के साथ पथ विक्रेताओं के लिए कार्यशील पूँजी ऋण; दूसरे ऋण की पूर्ति पर UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड
74वाँ संविधान संशोधन	शहरी स्थानीय निकायों के कार्य परिभाषित करता है

- **राष्ट्रीय:** आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), जिसमें राष्ट्रीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (NARC, MoHUA सचिव की अध्यक्षता में), राष्ट्रीय मिशन निदेशालय (NMD, मिशन निदेशक / संयुक्त सचिव के नेतृत्व में), और राष्ट्रीय मिशन प्रबंधन इकाई (NMMU) शामिल हैं
- **राज्य/UT:** उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPC, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में), राज्य मिशन निदेशालय, और राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU)
- **जिला:** जिला स्तरीय समिति (DLC, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में) और जिला मिशन प्रबंधन इकाई (DMMU)
- **ULB:** कार्यकारी समिति (EC, नगर आयुक्त / कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में) और शहर/क्रस्बा मिशन प्रबंधन इकाई (CMMU/TMMU); SUYOG (सुरक्षा योजना गारंटी) केंद्र ULB-स्तरीय एकल-खिड़की अभिसरण के रूप में
- **समुदाय:** SHG/CIG (>=70% शहरी गरीब) → क्षेत्र स्तरीय परिसंघ (ALF) → शहर स्तरीय परिसंघ (CLF)
- **वित्त-पोषण:** 60:40 केंद्र:राज्य (NE राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के लिए 90:10; UT के लिए 100% केंद्रीय); पायलट पूरी तरह केंद्रीय वित्त-पोषित है, मिशन अवधि के दौरान MoHUA मिशन दस्तावेज़ §7.2 के अनुसार राज्य-हिस्सा शुरू होगा

**मुख्य पद**

पद	जिम्मेदारी
शहर मिशन प्रबंधक / D-JAY(S) नोडल अधिकारी (CMMU/TMMU प्रमुख)	शहर/क्रस्बा मिशन प्रबंधन इकाई के प्रमुख; नगर आयुक्त / कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता वाली EC को रिपोर्ट; छोटे क्रस्बों में, अतिरिक्त प्रभार वाले एक नगरपालिका अधिकारी
सामुदायिक संगठनकर्ता (CO)	क्षेत्र स्टाफ़ जो शहरी गरीबों को SHG/CIG में संगठित करते हैं (आमतौर पर प्रति क्रस्बा 1-3)
SUYOG केंद्र समन्वयक (ULB)	ULB कार्यालय में योजना-जुड़ाव के लिए एकल-खिड़की सुविधाकर्ता: PMAY-U, e-Shram, BoCW, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), PMJAY, PM SVANidhi आदि से लाभार्थियों को जोड़ते हैं
VoG प्रणाल्य / सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRPs)	ULB स्तर पर छह VoG की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग और गणना; ULB द्वारा नियुक्त सामुदायिक पर्यवेक्षकों (CS) की देखरेख में
कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (STP)	सूचीबद्ध प्रशिक्षण संस्थान जो कौशल बैच चलाते हैं (अनुबंधित, सरकारी नहीं)
PM SVANidhi डेस्क	पथ विक्रेता ऋणों को संसाधित करने वाले बैंक और MFI
शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) प्रबंधक	विरासत DAY-NULM-समर्थित रात्रि आश्रयों के प्रबंधक



## अनिवार्य सेवाएँ

- शहरी गरीबों (>=70% सदस्य) और छह VoG को SHG (10-20 सदस्य) और CIG (5+ सदस्य) में संगठित करना; प्रति SHG/CIG ₹25,000 का रिवॉल्विंग फंड दो किस्तों में (₹10,000 + ₹15,000), और प्रति पंजीकृत ALF ₹2 लाख; पात्र समूह सामुदायिक निवेश समर्थन निधि (CISF) तक प्रति समूह ₹1 लाख तक ALF/CLF के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं
- तीन ट्रेकों में कौशल प्रशिक्षण (नए प्रवेशी, मौजूदा कामगारों का पुनर्कौशल/उन्नयन, और पूर्व अधिगम मान्यता / प्रमाणन) – राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC), क्षेत्र कौशल परिषदों और सूचीबद्ध प्रदाताओं के माध्यम से, बिना आयु-सीमा के, छह VoG को प्राथमिकता देते हुए
- व्यक्तियों के लिए स्व-रोजगार ऋण (₹4 लाख तक) और समूहों के लिए (₹20 लाख तक), उधारकर्ता को 5% पर तय रियायती ब्याज के साथ (महिलाओं और VoG में महिलाओं के लिए 4%); GoI बैंकों को 8% तक (महिलाओं के लिए 9%) ब्याज सबवेंशन का भुगतान करता है
- पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और पहचान, विक्रय प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र जारी करना, और विक्रय क्षेत्रों का सीमांकन (एसवीए, 2014)
- PM SVANidhi का प्रशासन (अगस्त 2025 में पुनर्संचित; उधार अवधि 31 मार्च 2030 तक विस्तारित): ₹15,000 / ₹25,000 / ₹50,000 की तीन किस्तों में बिना जमानत कार्यशील पूँजी ऋण, दूसरे ऋण के पुनर्भुगतान को पूरा करने वाले विक्रेता UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र हो जाते हैं
- शहरी गरीबों के लिए सामाजिक बुनियादी ढाँचा विकसित करना: कौशल/रोजगार सूचना के लिए वन-स्टॉप मंच के रूप में शहर आजीविका केंद्र (CLC); अनौपचारिक कामगारों के लिए श्रम चौक (पानी, स्वच्छता, छाँव, पंजीकरण, शिकायत सुविधा के साथ संगठित पिकअप बिंदु); देखभाल कामगारों के SHG/CIG द्वारा संचालित देखभाल बुनियादी ढाँचा (डेकेयर/शिशुगृह क्लस्टर)
- शहरी गरीबों और छह VoG (आधार-लिंक्ड e-KYC) की सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग और गणना संचालित करना; ULB स्तर पर शहर आजीविका कार्य योजना (C-LAP) तैयार और कार्यान्वित करना; योजना-जुड़ाव के लिए ULB कार्यालय में SUYOG एकल-खिड़की केंद्र चलाना; SHG/CIG उत्पादों एवं सेवाओं के लिए बाजार और ई-कॉमर्स जुड़ाव प्रदान करना
- 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में DAY-NULM से चली आ रही शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) चलाते रहना

## संबद्ध योजनाएँ

- **PM SVANidhi (पीएम-स्वनिधि):** ब्याज सब्सिडी के साथ कार्यशील पूँजी ऋण, अगस्त 2025 में पुनर्संचित; उधार 31 मार्च 2030 तक विस्तारित
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)** – नए उद्यमों के लिए ₹50 लाख (विनिर्माण) / ₹20 लाख (सेवाएँ) तक के ऋण, 15-35% सब्सिडी के साथ
- **MUDRA:** व्यक्तिगत और समूह उद्यमों के लिए ऋण जुड़ाव
- **सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (CGTMSE):** D-JAY(S) के तहत स्वीकृत व्यक्तिगत और SHG/CIG ऋणों को कवर करने वाली श्रेणीबद्ध ऋण गारंटी
- **NSKFD (स्वच्छता उद्यमी योजना) और NAMASTE:** अपशिष्ट कामगारों के लिए ऋण और पूँजी सब्सिडी
- **NSDC / क्षेत्र कौशल परिषदें (MoSDE के तहत):** छह VoG के लिए TNA, अनुकूलित पाठ्यक्रम, RPL/प्रमाणन
- **पीएम विश्वकर्मा (PM Vishwakarma)** – परंपरागत कारीगरों एवं शिल्पकारों के लिए टूलकिट, प्रशिक्षण और ऋण
- **ई-श्रम (e-Shram)** – असंगठित कामगार पंजीकरण और ₹2 लाख दुर्घटना बीमा
- **आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** – पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य कवरेज

## कैसे ढूँढ़ें

**पोर्टल:** [nulm.gov.in](http://nulm.gov.in) विरासत DAY-NULM डेटा के लिए सक्रिय परिचालन पोर्टल बना हुआ है; पायलट शहरों में, ULB कार्यालय में SUYOG केंद्र और CMMU सक्रिय संपर्क बिंदु हैं। शहर के अनुसार पथ विक्रेता ऋण डेटा के लिए [pmsvanidhi.mohua.gov.in](http://pmsvanidhi.mohua.gov.in)।

**इसके अलावा:** नगरपालिका कार्यालय (नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत) जाएँ और CMMU/TMMU या, पायलट शहरों में, SUYOG केंद्र के बारे में पूछें।

## मुख्य सुविधाएँ

CMMU/TMMU नगरपालिका कार्यालय के भीतर से संचालित होती है; अधिकांश कस्बों में कोई समर्पित भवन नहीं है। कौशल प्रशिक्षण सूचीबद्ध संस्थान परिसरों में होता है। D-JAY(S) शहर स्तर पर चार नए भौतिक संपर्क-बिंदु पेश करता है: शहर आजीविका केंद्र (CLC, नौकरियों, प्रशिक्षण, बाजारों के लिए वन-स्टॉप); श्रम चौक (पानी, स्वच्छता, छाँव, नौकरी पंजीकरण, शिकायत सुविधा के साथ संगठित



पिकअप बिंदु); देखभाल बुनियादी ढाँचा / डेकेयर क्लस्टर (देखभाल कामगारों के SHG/CIG द्वारा संचालित); और SUYOG केंद्र (ULB कार्यालय में एकल-खिड़की योजना जुड़ाव)। जहाँ शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH, DAY-NULM से चला आया) मौजूद है, वहाँ बिस्तर, शौचालय, पीने का पानी, सुरक्षा और एक देखरेखकर्ता होने चाहिए।

### एक क्रियाशील शहरी आजीविका व्यवस्था कैसे दिखती है

#### D-JAY(S) पायलट शहर में (25 शहर):

- ULB में एक कार्यकारी समिति है जो नगर आयुक्त / कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में है, और एक CMMU/TMMU है जिसमें समर्पित मिशन स्टाफ है
- ULB कार्यालय में एक SUYOG एकल-खिड़की केंद्र चालू है
- सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइलिंग और VoG गणना शुरू हो गई है (समूह के अनुसार आँकड़े देखें)
- एक शहर आजीविका कार्य योजना (C-LAP) तैयार की गई है या प्रगति पर है
- व्यक्तिगत / समूह उद्यम ऋण (₹4 लाख / ₹20 लाख) नई सब्सिडी दरों पर स्वीकृत हो रहे हैं
- VoG (अपशिष्ट, देखभाल, गिग, परिवहन) के SHG/CIG संगठित हो रहे हैं — केवल महिलाओं के SHG ही नहीं
- कम-से-कम एक CLC और/या श्रम चौक चालू है

#### किसी अन्य शहर में (DAY-NULM विरासत संरचनाएँ):

- नगरपालिका कार्यालय में 30 सितंबर 2024 के बाद भी एक समर्पित व्यक्ति के साथ NULM प्रकोष्ठ है
- SHG और ALF/CLF जारी हैं; D-JAY(S) स्पष्टता के अभाव में नया संगठनकरण धीमा है
- PM SVANidhi विक्रेता ऋण (अगस्त 2025 में पुनर्संचित: ₹15,000 / ₹25,000 / ₹50,000 की तीन किस्तें, दूसरे ऋण के पूरा होने पर UPI-लिंक्ड RuPay क्रेडिट कार्ड) संसाधित हो रहे हैं
- एसवीए, 2014 के तहत पथ विक्रेता सर्वेक्षण और विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करना जारी है
- शहरी बेघरों के लिए आश्रय (SUH) खुले हुए हैं

### शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु शहर / क्रस्बा मिशन प्रबंधक (CMMU / TMMU) हैं, जो नगरपालिका निकाय में हैं। PM SVANidhi ऋण मुद्दों के लिए, नामित बैंक / MFI पहले प्रत्युत्तरकर्ता हैं। STP (कौशल प्रशिक्षण साझेदार) शिकायतों के लिए, प्रशिक्षण-केंद्र प्रमुख अग्र-पंक्ति में हैं।

**सेवा के बाद।** मामला राज्य मिशन प्रबंधन इकाई (SMMU) / राज्य शहरी आजीविका मिशन (SULM, विरासत DAY-NULM मामलों के लिए), नगर आयुक्त / कार्यपालक अधिकारी, और फिर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) तक बढ़ाया जाता है।

**बाहरी।** MoHUA केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) ([pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) चलाता है; D-JAY(S) शिकायतें SMMU / NMMU के माध्यम से जाती हैं। PM SVANidhi की शिकायतें [pmsvanidhi.mohua.gov.in](http://pmsvanidhi.mohua.gov.in) के माध्यम से जाती हैं। 2014 अधिनियम के तहत पथ-विक्रेता-विशिष्ट मुद्दों (विक्रय प्रमाण-पत्र की अस्वीकृति, विक्रय-क्षेत्र विवाद) के लिए, नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली नगर विक्रय समिति वैधानिक मंच है। बैंकिंग ओम्बड्समैन ([cms.rbi.org.in](http://cms.rbi.org.in)) ऋण-संबंधी शिकायतें संभालता है।